पत्र संख्या–विधि–भामाशाह पुरस्कार 2024–25/ 32 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उ0प्र0।

(विधि अनुभाग)

लखनऊः: दिनॉकः: जून 26 ,2024

समस्त अपर आयुक्त,
राज्य कर, उ0प्र0।

कृपया राज्य सरकार द्वारा दानवीर भामाशाह के जन्मदिवस दिनॉक 29.06.2024 को सभी जनपदों में ''व्यापारी कल्याण दिवस'' मनाए जाने तथा आयोजन स्थल पर ''भामाशाह पुरस्कार'' दिए जाने संबंधित मुख्य सचिव उ0प्र0 के शासनादेश संख्या–251 दिनॉक 24.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसे विभागीय सीनियर व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से दिनॉक 25.06.2024 को शासनादेश के अनुपालन कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है।

इस सन्दर्भ में दिनॉक 26.06.2024 को प्रमुख सचिव पर्यटन व संस्कृति उ0प्र0 शासन द्वारा बैठक आयोजित की गई जिसमें मण्डलायुक्त लखनऊ, जिलाधिकारी लखनऊ, संस्कृति, पर्यटन, औद्योगिक विकास व राज्य कर विभाग के अधिकारी एवं व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का कार्यवृत्त संस्कृति विभाग द्वारा आज उपलब्ध कराए जाने पर तद्नुसार अनुपालन हेतु आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बैठक में राज्य कर विभाग से की गई अपेक्षाऍ आवश्यक कार्यवाही हेतु पूर्व में सूचित की जा रही हैं।

भामाशाह पुरस्कार 2024 हेतु जनपद स्तर पर व्यापारी का चयन व आयोजन में सहभागिता

I. व्यापारी विगत 03 वर्ष से राज्य कर विभाग के राज्य अधिक्षेत्र में जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

II. व्यापारी वर्ष 2023–24 में पॉजिटिव ग्रोथ से जीएसटी राजस्व जमा किया हो।

III. व्यापारी अपने जनपद में सर्वाधिक जीएसटी/वैट राजस्व जमा किया हो।

IV. प्रत्येक जनपद में 02 पुरस्कार दिए जाऍगे। पुरस्कार 02 कैटेगिरी में होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी/डीलर निजी क्षेत्र के कम्पनी/डीलर। सार्वजनिक क्षेत्र के डीलर उपलब्ध न होने पर दोनों पुरस्कार निजी क्षेत्र को दिए जाऍगे।

V. प्रत्येक जनपद में व्यापारी का चयन जोनल एडीशनल कमिश्नर अथवा उनके द्वारा जनपद के लिए नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा संबंधित पुरस्कार प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर किए जाऍगे।

VI. राज्य स्तर के पुरस्कार लखनऊ जनपद के आयोजन में सम्मिलित होंगे।

VII. राज्य स्तर के जीएसटी/वैट के व्यापारी उपरोक्त मापदण्ड पर चयन करते हुए अलग से लखनऊ जनपद के आयोजनकर्ता को उपलब्ध कराए जाऍगे।

VIII. प्रमुख सचिव पर्यटन द्वारा सुझाव दिया गया है कि पुरस्कार में गोल कासे की बड़ी प्लेट न्यूनतम 16 इंच व्यास की इस कार्यक्रम का लोगो लगाकर दी जाए। जिस पर निर्णय संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

IX. आयोजन स्थल जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त के मीटिंग हॉल या कोई लोकप्रिय प्रेक्षागृह जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए जाऍगे इस हेतु राज्य कर विभाग व संस्कृति विभाग के अधिकारी जिलाधिकारी से सम्पर्क करेंगे।

X. आयोजन स्थल पर दानवीर भामाशाह के कट–आउट लगाए जाऍगे तथा कार्यक्रम का आयोजन राज्य कर विभाग व संस्कृति विभाग के अधिकारी करेंगे।

XI. आयोजन स्थल पर डिजिटल डिस्प्ले या होर्डिंग्स के द्वारा राज्य कर विभाग से व्यापारी को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का एक स्क्रीन तथा मा0 मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 के जनपद के लाभार्थी के विवरण डिस्प्ले किए जाएँगें। जिन लाभार्थियों को स्वीकृति धनराशि दिया जाना अवशेष हों उन्हें आयोजन स्थल पर दिए जाएँगें। सुलभ सन्दर्भ हेतु आयुक्त कार्यालय पर उपलब्ध जोनवार लाभार्थी के विवरण संलग्न हैं जिन्हें जिला स्तर पर परीक्षण कर उपयोग किया जाए।

XII. संस्कृति विभाग द्वारा बैठक में उपलब्ध कराई गई पीपीटी सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध कराई जा रही है जो जिलाधिकारी के द्वारा सुविधानुसार परिवर्तनीय है।

कृपया संबंधित जनपद में जिलाधिकारी एवं संस्कृति विभाग/सांस्कृतिक परिषद् से सम्पर्क करके जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं तैयारी कराते हुए कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित कराएँ।

संलग्नक–यथोक्त।

(डा0 आदर्श सिंह)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, राज्य कर उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव पर्यटन व संस्कृति उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 द्वारा समस्त Zonal office
5. निदेशक संस्कृति उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 द्वारा समस्त जनपदीय office
7. विशेष सचिव, औद्योगिक विकास उ0प्र0, शासन।
8. संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।

आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।